उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-1/1374/78-2-2013-25इले0/99

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2013

<u>विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2001 के अध्याय-2 के नियम-3(3) में विहित शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रारम्भ करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(निर्मला श्रीवास्तव)

अनु सचिव

<u>संख्या-1374(1)/78-2-2013 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबंधक, उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2- कुलाधिपति उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in